न्यायालय लैण्ड रेकर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही

बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

रा0प्रा0पत्र सं078 / 2022

प्रार्थी

1.श्री मानसिंह पुत्र श्री लाख सिंह आयु 45 वर्ष, जाति राजपूत निवासी चडुआल तहसील व जिला सिरोही राज. ।

बनाम

अप्रार्थीगण

1.श्री हडमत सिंह पुत्र श्री जुजार सिंह आयु 50 वर्ष, जाति राजपूत निवासी चडुआलतहसील व जिला सिरोही राज. ।
2.श्री शैतान सिंह पुत्र श्री जुजार सिंह आयु 45 वर्ष, जाति राजपूत निवासी चडुआल तहसील व जिला सिरोही राज. ।
3. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री जुजार सिंह आयु 42 वर्ष, जाति राजपूत निवासी चडुआल तहसील व जिला सिरोही राज. ।
4. श्री लालम सिंह पुत्र श्री जुजार सिंह आयु 40 वर्ष, जाति राजपूत निवासी चडुआल तहसील व जिला सिरोही राज. ।
5. श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री जुजार सिंह आयु 35 वर्ष, जाति राजपूत निवासी चडुआलतहसील व जिला सिरोही राज. ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सिरोही राज. ।

1– प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दिपक बोडाना ।
2– अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री गोविंदसिंह देवडा ।
2– अप्रार्थी स्टेट की ओर पेरोकार सरकार ।

:: **प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956**

---:

आदेश

दिनांक 2–08–2024

प्रार्थी ने जरिये वकील यह राजस्व प्रार्थना पत्र अ.धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण का इस आश्य का इस न्यायालय मे दिनांक 09–09–2022 को पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि चडुआल मे अपने परिवार सहित निवास करता है जहाँ पर चल व अचल सम्पति स्थित है। प्रार्थी खेती व मजदूरी कर जीवविकोपार्जन करता है ।यह कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा चडुआल पटवार हल्का तँवरी हहसील व जिलासिरोही मे आयी हुई है जिसकी विगत निम्न प्रकार हैरू–

क्रम सं.	खाता सं.	खसरा सं.	क्षेत्रफल	भूमि	लगान
1.	नया 298	168	0.1100	चाही 3	1.2100,

प्रार्थी का पडौसी खातेदार हमेशा खेती मे रूकावट पैदा करता है एवं आये दिन मरने मारने पर उतारू हो जाते है एवं प्रार्थी की बाढ को तोड देते है । प्रार्थी के लिए सीमाज्ञान कर पत्थर गढी करना आवश्यक हो गया है।प्रार्थी के खेत के पास पडौसी खातेदार जाने के रास्ते मे रूकावट पैदा करता है तथा आने जाने मे परेशानी पैदा करते है । प्रार्थी को आये दिन पडौसी खातेदार से झगडा फसाद, मरने मारने कीऐलानिया धमकी देने से काश्त में रूकावट होती है। प्रार्थी द्वारा इस बारे मे दिनांक 12.04.2022 को थानाधिकारी पुलिस थाना कालन्द्री, दिनांक 29.04.2022 को श्रीमान पुलिस अधिक्षक सिरोही व दिनांक 12.05.2022 को तहसीलदार साहब सिरोही को भी रिपोर्ट की थी परन्तु अप्रार्थी खातेदार नही मान रहा है। जिससे प्रार्थी के लिए खेती करना मुश्किल हो गया है। प्रार्थी ने दिनांक 09.06.2021 को तहसीलदार साहब सिरोही के आदेश क्रमांक/भू.अ./ सीमाज्ञान / 2021 / 1721 की पालना मे दिनांक 14.06.2021 को खसरा सं. 168 व 169 रकबा 0.11 व 0.87 कुल रकबा 0.9800 का सीमाज्ञान कराया था उसके बावजूद भी पडौसी खातेदार खेती मे रूकावट पैदा करते है जिस वजह से पत्थरगढी करना आवश्यक है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण बना है।

अतः निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की वर्णित खातेदारी भूमि को तरमीम कर पत्थरगढी के आदेश फरमावें ताकि प्रार्थी को उचित न्याय मिल सके।

प्रकरण इस न्यायालय की सूनवाई पेशी दिनांक 17–01–2023 को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से प्रस्तुत जवाब को शामिल मिसल किया गया, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई ।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 ने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी ग्राम चडुआल का मूल निवासी नही है जो ग्राम निम्बोडा का मूल निवासी है तथा ग्राम चडुआल मे श्री सोहनसिंह पुत्र अचलसिंहजी का घर जवाई बन कर आया था जिससे वह वर्तमान मे चडुआल मे निवास करता है ।प्रार्थी के नाम खातेदारी मे अवश्य दर्ज है लेकिन मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है । उक्त भुमि स्व. श्री सोहनसिंह पुत्र अचलसिंहजी निवासी चडुआल के खातेदारी की थी जो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 ने श्री सोहनसिंह पुत्र अचलसिंहजी से मौखिक रूप से आज से करीबन 30–40 साल पूर्व खरीद की थी व उसका कब्जा प्राप्त किया था तब से उक्त भुमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 का कब्जा काश्त है। प्रार्थी स्व. श्री सोहनसिह पुत्र अचलसिंहजी का जवाई है जिसने यह जमीन हडपने के लिए फर्जी दस्तावेज के जरिये अपने नाम पर दर्ज करवाई है। उक्त भुमि पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है तथा उक्त भुमि पर गत 30–40 साल से अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है जिससे अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को मरने मारने के लिए उतारू होने का कथन गलत होने से अस्वीकार है ।अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को आने जाने मे कभी रूकावट पैदा नही की है न ही प्रार्थी का

मौके पर कब्जा काश्त है ।उक्त भुमि को अप्रार्थीगण ने स्व. श्री सोहनसिंह पुत्र अचलसिंहजी से खरीद की थी उक्त भुमि अप्रार्थीगण के खातेदारी की भुमि से लगती हुई होने से अप्रार्थीगण ने स्व. श्री सोहनसिंह पुत्र अचलसिंहजी से खरीद की थी व उसका रकबा कम होने से रजिस्ट्री नही करवाई थी । प्राथी उक्त सोहनसिंह पुत्र अचलसिंहजी का घर जवाई होने से उसने उक्त भुमि हडपने के लिए उसके अपने नाम पर फर्जी दस्तावेज के जरिये खातेदारी मे दर्ज करवाई है व उसकी आड मे भुमि को हडपना चाहता है जिससे यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है व आए दिन झूठी शिकायते पुलिस विभाग मे करता रहता है। प्रार्थी का मौके पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है।प्रार्थी ने उक्त जमीन का सीमाज्ञान अपनी मन मरजी से अप्रार्थीगण की पीठ पीछे करवाया था जो अप्रार्थीगण को स्वीकार नही है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नही है जिससे उसको सीमाज्ञान कराने व पत्थरगढी कराने का हक अधिकार नही है ।अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के इस जवाब को रेकर्ड पर लिया जाकर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारीज कराना फरमावे।

प्रकरण में सुनवाई पेशी दिनांक 03–01–2024 को अप्रार्थी संख्या 6 ने जरिये तहसीलदार सिरोही ने अपने पत्रांक/रीडर/विधि/2023/2097 दिनांक 22–12–2023 से प्रस्तुत जवाब को शामिल मिसल किया गया । तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में कथन किया है कि ग्राम चडूआल की जमाबंदी खाता सं. 298 के अनुसार खसरा नम्बर 168 रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि मानसिंह पुत्र लाखसिंह हि. 79 / 84 जाति राजपुत सा. निम्बोडा व हंसकंवर पुत्री सोहनसिंह हि. 5 / 84 जाति राजपुत सा. देह की खातेदारी भूमि है ।प्रार्थी ने दिनांक 09–06–2021 को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसील कार्यालय से आदेश करवाया था, जिसकी पालना में भू.अ. निरीक्षक तंवरी द्वारा दिनांक 14–6–2021 को प्रार्थी को सीमाज्ञान करवाया गया था, जिसके अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 168 पर खसरा नम्बर 167 के खातेदारों का आंशिक भाग पर कब्जा पाया गया था, जिसे संलग्न मौका फर्द एवं नक्शे में दर्शाया गया है। (मौका फर्द एवं नक्शे की प्रति संलग्न है)

प्रकरण में इस न्यायालय की सुनवाई दिनांक 02–08–2024 को वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर प्रकरण में अंतिम बहस सूनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण में पत्रावली के साथ संलग्न प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम चडूआल के जमाबंदी संवंत् 2070–2073 खाता संख्या 298 खसरा संख्या 168 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, नक्शा ट्रेस, अप्रार्थीगण का जवाब, अप्रार्थी स्टेट का जवाब एवं वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण व स्टेट पैरोकार सरकार की उक्त बहस पर भी गंभीरता से मनन किया।

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन केप्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 128 एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजाचडूआल के खसरा संख्या 168 रकबा 0.1100 हैक्टेयर में पडौसी खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण/बेदखल करने की संभावना व खातेदारी भूमि में काश्त करने में विघ्न पैदा होने तथा भविष्य में और भी कानुनन परेशानी व अन्य समस्याए पैदा न हो इस हेतु नियमानुसार प्रार्थी से उक्त भूमि के सीमाज्ञान का निर्धारित फीस राजकोष मे जमा कराने के उपरान्त प्रार्थी के खातेदारी की

उक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के लिये नायबतहसीलदार कालन्द्री की अध्यक्षता मे पटवारी तंवरी व भू.अ.नि. तंवरी की कमेटी का गठन कर प्रार्थी के उक्त खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान बाद पत्थरगढी करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय सरे ईलजास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(श्री अभिषेक बारस्य)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 02–08–2024 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.)